भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1125

24 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष वीजा

1125. डॉ. लता वानखेड़े:
श्रीमती शांभवी:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में विशिष्ट "आयुष वीजा" श्रेणी का उपयोग करने वाले अंतरराष्ट्रीय मरीजों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस समर्पित वीजा प्रवाह ने भारत को, विशेषकर मध्य प्रदेश में, प्रामाणिक और मानकीकृत पारंपरिक चिकित्सा के एक वैश्विक केंद्र के रूप में सफलतापूर्वक स्थापित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सभी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर "आयुष वैलनेस हब" स्थापित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय के साथ भागीदारी की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स (एनएबीएच) द्वारा हाल ही में पचास आयुष अस्पतालों को दी गई मान्यता से भारतीय पारंपरिक चिकित्सा की वैश्विक विश्वसनीयता बढ़ी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार देश में विश्वस्तरीय आयुष उपचार केंद्रों को विकसित करने के लिए निजी स्वास्थ्य सेवाप्रदाताओं को विशेष वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या 2027 तक आयुष आधारित मेडिकल वैल्यू ट्रैवल से विदेशी मुद्रा अर्जन को दोगुना करने का कोई रोडमैप है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): सरकार ने 27 जुलाई, 2023 को आयुष-आधारित उपचार कराने के इच्छुक अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों की सुविधा के लिए आयुष वीज़ा की शुरुआत की। आयुष वीज़ा (एम-3) और आयुष परिचारक वीज़ा (एम-4) चिकित्सा वीज़ा की ही उप-श्रेणियाँ हैं, जो विदेशी नागरिकों और उनके परिचारकों को भारत में आयुष उपचार प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाती हैं। आयुष वीज़ा के संबंध में प्राप्त जानकारी का विवरण **संलग्नक-1** में दिया गया है।

(ख): सरकार ने मध्य प्रदेश सहित देश भर में सोशल मीडिया, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रचार मंचों के माध्यम से आयुष वीज़ा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलें की हैं। गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा

संचालित चिकित्सा एवं आयुष वीज़ा पोर्टल, मान्यता प्राप्त आयुष अस्पतालों के पंजीकरण और विदेशी मरीजों के लिए आमंत्रण-पत्र जारी करने की सुविधा प्रदान करता है। आयुष मंत्रालय ने मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों और अन्य हितधारकों को पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए दिनांक 20.05.2024 और 22.12.2025 को पत्र जारी किए। साथ ही, आयुष वीज़ा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाएँ (एसओपी) सभी संबंधित हितधारकों को प्रेषित की गईं।

(ग): वर्तमान में, सभी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर आयुष वेलनेस हब की स्थापना के लिए कोई भी प्रस्ताव आयुष मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

(घ): अस्पतालों और स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएच), भारतीय गुणवत्ता परिषद् (क्यूसीआई) का एक घटक बोर्ड है, जिसे स्वास्थ्य देखभाल में गुणवत्ता के लिए अंतर्राष्ट्रीय सोसायटी (आईएसक्यूयूए) द्वारा मान्यता प्राप्त है, यह स्वास्थ्य देखभाल प्रत्यायन निकायों का मूल्यांकन करने और मान्यता देने वाली विश्व स्तरीय मान्यता वाली संस्था है। आईएसक्यूयूए से मान्यता का अर्थ है कि एनएबीएच के मानक, आकलन प्रक्रियाएँ और मान्यता पद्धति स्वास्थ्य सेवा में गुणवत्ता और रोगी की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानकों के अनुरूप हैं।

(ङ): आयुष मंत्रालय विश्व स्तरीय आयुष उपचार केंद्र स्थापित करने के लिए विशेष रूप से निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को कोई समर्पित वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान नहीं करता है।

(च):सरकार ने आयुष आधारित चिकित्सा मूल्य यात्रा (एमवीटी) को बढ़ावा देने और पारंपरिक चिकित्सा एवं कल्याण के लिए भारत की स्थिति को एक वैश्विक गंतव्य के रूप में मजबूत करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें चिकित्सा और कल्याण पर्यटन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति और दिशानिर्देश, आयुष वीज़ा (एम-3) और आयुष परिचारक वीज़ा (एम-4) की शुरूआत, आयुष के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने हेतु केंद्रीय क्षेत्र की योजना का कार्यान्वयन, एनएबीएच-मान्यता प्राप्त आयुष अस्पतालों और कल्याण केंद्रों को बढ़ावा देना, आयुष गुणवत्ता चिह्न की शुरूआत, मानक उपचार दिशानिर्देशों (एसटीजी) का संचालन, अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक सहयोग और छात्रवृत्तियाँ, आयुर्वेद प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड (एटीएबी) और योग प्रमाणन बोर्ड (वाईसीबी) की स्थापना, भारत पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) के साथ सहयोग, और आयुष आधारित चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलनों का आयोजन करना शामिल है। हालाँकि, मंत्रालय ने 2027 तक आयुष आधारित चिकित्सा मूल्य यात्रा से विदेशी मुद्रा अर्जन को दोगुना करने का कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है।

संलग्नक-I

ई-वीज़ा	**2024**	**2025**	**2026 (30.06.2026 तक)**
आयुष वीज़ा	1106	2306	1211
आयुष परिचारक वीज़ा	116	511	464
कुल	**1222**	**2817**	**1675**

सामान्य वीज़ा	**2024**	**2025**	**2026 (30.06.2026 तक)**
आयुष वीज़ा	88	110	132
आयुष परिचारक वीज़ा	44	75	94
कुल	**132**	**185**	**226**